



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4834] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 2018/अग्रहायण 17, 1940
No. 4834] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 2018/AGRAHAYANA 17, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6064 (अ).—यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में सिपकॉट इण्डस्ट्रियल एरिया, श्रीपेरुम्बदूर तालुक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र कार्यकलापों सहित इलैक्ट्रानिक्स/दूरसंचार हार्डवेयर एवं सहायक सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था;

क्रम. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(i)	का. आ. 2141(अ)	22.12.2006	189.771	-	189.771
(ii)	का. आ. 1308(अ)	31.07.2007	41.369	-	231.140
(iii)	का. आ. 677(अ)	02.03.2015	-	11.832	219.308
(iv)	का. आ. 1219(अ)	17.03.2016	-	23.75	195.558
(v)	का. आ. 2343(अ)	01.06.2018	-	16.336	179.222
(vi)	का. आ. 4779(अ)	05.09.2018	-	28.338	150.884

और यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 3.963 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 5094/एम आई ई.2/2017-4 दिनांक 01.06.2018 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्ल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 3.963 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से **3.963 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है**, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल **146.921 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	शिरुमंगाडु	156 पार्ट	0.955
2.		161 पार्ट	0.458
3.		162 पार्ट	1.380
4.		163 पार्ट	1.170
कुल			3.963
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल			146.921

[फा. सं. एफ.2/146/2006—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2018

S.O. 6064(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Sector Specific SEZ for Electronics/Telecom Hardware and Support Services, including Trading and Logistics activities at SIPCOT Industrial Area, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given under:-

Sl. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in Hectares)	De-Notified Area (in Hectares)	Total Area (in Hectares)
(i)	S.O. 2141 (E)	22.12.2006	189.771	-	189.771
(ii)	S.O. 1308 (E)	31.07.2007	41.369	-	231.140
(iii)	S.O. 677 (E)	02.03.2015	-	11.832	219.308
(iv)	S.O. 1219 (E)	17.03.2016	-	23.75	195.558
(v)	S.O. 2343 (E)	01.06.2018	-	16.336	179.222
(vi)	S.O. 4779 (E)	05.09.2018	-	28.338	150.884

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 3.963 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 5094/MIE.2/2017-4 dated 01.06.2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 3.963 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 3.963 hectares**, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as **146.921 hectares**, comprising the survey numbers and the areas given below in the table, namely:-

TABLE FOR DELETION AREA

Sl.No.	Name of Village.	Survey No.	Area in hectares
1.	Sirumangadu	156 Pt.	0.955
2.		161 Pt.	0.458
3.		162 Pt.	1.380
4.		163 Pt.	1.170
Total			3.963
Grand total area of SEZ after above deletion			146.921

[F. No. F.2/146/2006-SEZ]

B.B. SWAIN, Addl. Secy.